VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

WEEKLY FOCUS
#77, SEP 2022

भारत में जनजातियां

एक विकास पथ का निर्माण

परिचय

'ट्राइब' शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द "ट्राइबस (Tribus)" से हुई है, जिसका अर्थ है "एक–तिहाई"। यह मूल रूप से उन तीन क्षेत्रीय समूहों में से एक को संदर्भित करता है, जो रोम के निर्माण हेतु एकजुट हुए थे। हिंदी भाषा में इसका अनुवाद जनजाति किया गया है, जिसे **'मूलनिवासी' या 'आदिवासी'** भी कहा जाता है।

अफ्रीका के बाद भारत में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आदिवासी या जनजातीय आबादी रहती है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में लगभग 700 जनजातीय समूह रहते हैं, जिनकी आबादी 10.4 करोड़ है। **इन्होंने अपने स्थानीय पर्यावरण के साथ एक सहजीवी संबंध विकसित किए हैं,**

जिसके चारों ओर इन्होंने अपनी सांस्कृतिक परंपराओं, अर्थव्यवस्था और सामाजिक जीवन का विकास किया है। इनके लिए इनकी भूमि केवल आजीविका का स्रोत ही नहीं है, बल्कि उनकी सांस्कृतिक पहचान और अस्तित्व का सूचक भी है।

इस संदर्भ में, हम इस बारे में निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा करेंगे:

- भारत में जनजातीय समुदायों की क्या विशेषताएं हैं और उनका वर्गीकरण कैसे किया जाता है?
- जनजातीय लोगों की ये श्रेणियां कैसे अस्तित्व में आईं?
- भारत की अनूठी विरासत के प्रतिनिधित्व और संरक्षण में जनजातीय समुदाय क्या भूमिका निभाते हैं?
- वर्तमान में भारत में जनजातीय समुदायों के लिए शासन व्यवस्था का स्वरुप क्या है?
- जनजातीय समुदायों को उनके विकास पथ में किन प्रमुख बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है और भारत में जनजातीय समुदाय के संधारणीय विकास को सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं?

भारत में जनजातीय समुदायों की क्या विशेषताएं हैं और उनका वर्गीकरण कैसे किया जाता है?

भारत में जनजातीय आबादी को देश की **सबसे पुरानी आबादी** और भारतीय सभ्यता का एक अभिन्न अंग माना जाता है। **वैदिक काल से लेकर ब्रिटिश काल** तक भारत का इतिहास अपने जनजातीय लोगों से काफी प्रभावित रहा है।

वैदिक काल

- **जाति व्यवस्था की शुरुआत से पहले, लोग विभिन्न कबीलों में अलग-अलग रहते थे।**
- उदाहरण के लिए- **वानर कबीला, मुंडा** आदि।

प्राचीन और मध्यकाल

- **जनजातीय लोगों को आबादी के शेष हिस्से के साथ मिलने का अवसर मिला।**
- उदाहरण के लिए- अकबर ने छोटानागपुर के आदिवासी क्षेत्रों में **संथाल** और **हो** आदिवासी समुदायों के लिए गुरिल्ला युद्धकला को बढ़ावा दिया था, ताकि वे यूरोपियन्स के जबरन प्रवेश का प्रभावी विरोध कर पाएं।

ब्रिटिश शासन

- वर्ष 1833 के अधिनियम के द्वारा, **छोटानागपुर के कुछ हिस्सों को गैर-विनियमित क्षेत्रों के रूप में घोषित किया गया था।** इसमें बाहरी लोगों को भूमि अधिग्रहण की अनुमति नहीं थी।
- उदाहरण के लिए- **आपराधिक जनजाति अधिनियम, 1871**
  - इसे कुछ जनजातियों को आपराधिक जनजाति के रूप में अधिसूचित करने के लिए लाया गया था।

भारत में जनजातीय आबादी व्यापक रूप से फैली हुई है। समय के साथ उनके विकास को देखते हुए उन्हें वर्गीकृत करने के कई तरीके हो सकते हैं।

- **भौगोलिक दृष्टि** से ये तीन मुख्य क्षेत्रों में विभाजित हैं, अर्थात् **उत्तर और पूर्वोत्तर क्षेत्र, मध्य क्षेत्र तथा दक्षिणी क्षेत्र।**
  - **भाषाई रूप** से, भारतीय जनजातियों के बीच **इंडो-आर्यन, ऑस्ट्रो-एशियाटिक, द्रविड़ और तिब्बती-बर्मन** जैसे व्यापक समूहों की पहचान की गई है।
  - **नस्लीय रूप** से, भारतीय जनजातियों को सामान्य तौर पर **मंगोलॉयड, प्रोटो-आस्ट्रोलायड और नेग्रिटो** में वर्गीकृत किया गया है।
- **संवैधानिक रूप** से देखें तो भारत के संविधान में जनजातियों को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन **अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजातियों से संबंधित एक खंड** शामिल है।
  - **अनुसूचित जनजाति** (STs): STs वे लोग हैं, जिन्हें **संविधान में सूचीबद्ध किया गया है, और जिनका उल्लेख राष्ट्रपति द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों में किया गया है।**
  - राष्ट्रपति जनजातियों को STs के रूप में अधिसूचित करने से पहले निम्नलिखित पांच विशेषताओं पर ध्यान देते हैं:
    1. आदिम लक्षण,
    2. विशिष्ट संस्कृति,
    3. बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क करने में संकोच,
    4. भौगोलिक अलगाव, तथा
    5. सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन।

☆ अन्य प्रशासनिक वर्गीकरण–

- **विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह** (Particularly Vulnerable Tribal Groups: PVTGs): जनजातीय समूहों में PVTGs सर्वाधिक असुरक्षित हैं। इसके कारण PVTGs को उनके विकास के लिए अधिक धन आवंटित करने की आवश्यकता है।
  - इनमें **असुर, बिरहोर, बोंडो गडाबा, बोंडो पोरजा** आदि जनजातीय समूह शामिल हैं।
- **विमुक्त जनजातियां** (De-notified Tribes): ये ऐसे समुदाय या जनजातियां हैं, जिन्हें ब्रिटिश शासन के दौरान विशिष्ट प्रशासनिक तथा कानून और व्यवस्था से जुड़े कारणों से "जन्मजात अपराधी" के रूप में 'अधिसूचित' किया गया था। इसका निर्धारण **आपराधिक जनजाति अधिनियम, 1871** के तहत किया गया था।
  - इस अधिनियम को वर्ष 1952 में निरस्त कर दिया गया था और इन **समुदायों को 'विमुक्त' घोषित कर दिया गया था। तब से इन्हें विमुक्त श्रेणी में ही रखा गया है।**
  - इनमें **छारा, देवीपूजक, सांसी, सांधी, दाफर आदि जनजातियां** शामिल हैं।
- **घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियां** (Nomadic and Semi-nomadic Communities): इन्हें ऐसे समुदायों के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो किसी स्थान विशेष पर रहने की बजाय एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण करते रहते हैं।
  - इनमें **शिकारी और खाद्य-संग्रहकर्ता** (कोंडा रेड्डी, चेंचू आदि), घुमंतू पशुचारक और गैर-पशुचारक समुदाय (पारधी, बंजारा, भील आदि) शामिल हैं।

एक छोटी सी वार्ता!

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTGs)

विनी: हेलो विनय! क्या तुमने सुना है कि हमारे प्रधान मंत्री चार PVTGs कौशल केंद्रों का उद्घाटन करेंगे?

विनय: हां बिल्कुल। इससे PVTGs को उनकी आजीविका में विविधता लाने तथा उनकी आय और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए दीर्घकालिक सहयोग मिलेगा।

विनी: विनय क्या तुम मुझे PVTGs के बारे में बता सकते हो?

विनय: PVTGs जनजातीय समुदायों के ही उप-समूह हैं। ये कृषि-पूर्व स्तर की प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हैं। इनकी जनसंख्या या तो स्थिर है या घट रही है, इनमें साक्षरता दर बहुत ही कम है, और इनकी आय बस निर्वाह स्तर तक की ही है। भारत में कुल 75 सूचीबद्ध PVTGs हैं। ओडिशा में PVTGs की संख्या सबसे अधिक है।

विनी: अरे हां, मैंने कहीं पढ़ा था कि वर्ष 1973 में ढेबर आयोग (Dhebar Commission) ने आदिम जनजातीय समूहों (Primitive Tribal Groups: PTGs) को एक अलग श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया था। ये जनजातीय समूहों में सबसे कम विकसित समूह हैं।

विनय: एक बात और भारत सरकार ने वर्ष 2006 में PTGs का नाम बदलकर PVTGs कर दिया था।

विनी: तो, PVTG की मूल विशेषताएं क्या हैं?

विनय: वे ज्यादातर सजातीय हैं और उनकी आबादी भी बहुत कम है। वे भौतिक रूप से अलग-थलग जीवन यापन करते हैं। उनकी सामाजिक व्यवस्था बेहद साधारण सांचे में ढली हुई है। उनकी अपनी कोई लिखित भाषा नहीं है। वे कृषि की सरल तकनीक को जानते हैं और समय के साथ स्वयं में अधिक परिवर्तन भी नहीं करते हैं।

विनी: जानकारी के लिए धन्यवाद विनय!

भारत की अनूठी विरासत का प्रतिनिधित्व करने और उसके संरक्षण में जनजातीय समुदाय क्या भूमिका निभाते हैं?

भारत में जनजातीय समुदायों ने अपनी उत्कृष्ट कला और शिल्प के माध्यम से देश की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध किया है। साथ ही, उन्होंने अपने पारंपरिक रीति–रिवाजों के माध्यम से पर्यावरण के संवर्धन, रक्षण और संरक्षण में अग्रणी भूमिका निभाई है। अपने पारंपरिक ज्ञान के विशाल भंडार के साथ जनजातियां संधारणीय विकास की पथ प्रदर्शक भी रही हैं।

☆ भारतीय विरासत

- **कला और संस्कृति:** कई जनजातीय समुदाय लोक कलाओं के माध्यम से जीवन यापन करते हैं। इन लोक कलाओं में गायन और नृत्य, चारण संगीत (Music barding), कलाबाजी, जादू एवं सपेरा कलाएं आदि शामिल हैं। ये कलाएं हमारी विविध भारतीय कला और संस्कृति की विरासत को समृद्ध करती हैं।
  - उदाहरण के लिए– **नट समुदाय कलाबाजी का करतब** दिखाता है। राजस्थान का कालबेलिया समुदाय मुख्य रूप से सपेरा कलाएं, नृत्य, गायन और जादू जैसी कलाओं के माध्यम से जीवन यापन करता है। **ध्यातव्य है कि कालबेलिया समुदाय को सपेरा समुदाय भी कहा जाता है।**
- **सांस्कृतिक विविधता:** आदिवासी पर्व सदियों से चले आ रहे हैं और उनका धार्मिक महत्व भी है। ये त्योहार भारत की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करते हैं।
  - उदाहरण के लिए– **ओडिशा में करमा पर्व** मनाया जाता है। इस पर्व में अविवाहित स्त्रियां करम वृक्ष की शाखाओं को रोपती हैं और अच्छे भाग्य के लिए पूजा–अर्चना करती हैं।
  - इसी प्रकार, **झारखंड में सरहुल पर्व** मनाया जाता है। इस पर्व में गांव की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साल वृक्ष की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि साल वृक्ष में सरना देवी का वास होता है।

☆ पारंपरिक ज्ञान

- **पारंपरिक चिकित्सा:** भारतीय जड़ी–बूटियां और पारंपरिक आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली उस ज्ञान पर निर्भर है, जिसे पीढ़ी–दर–पीढ़ी साझा किया गया है और आगे बढ़ाया गया है। जनजातियों के पास इस तरह के ज्ञान का महत्वपूर्ण भंडार है।
  - राजस्थान के सिरोही जिले की गरासिया जनजाति को औषधीय वनस्पतियों के बारे में व्यापक ज्ञान है। इन वनस्पतियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) की रेड लिस्ट में संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची में रखा गया है। इन वनस्पतियों को बचाने के लिए इन जनजातियों ने कुछ जगहों पर वन विकसित किए हैं। इन वनों को लोक देवताओं का पवित्र उपवन (Sacred groves) कहा जाता है।

संरक्षण हेतु स्वदेशी ज्ञान:

देश भर से सर्वोत्तम प्रथाएं

- ☆ **संधारणीय कृषि:** जीरो घाटी (Ziro valley) में **अपतानी जनजातियाँ अपनी संधारणीय कृषि पद्धतियों के लिए जानी जाती हैं,** उदाहरण के लिए– **आर्द्र धान की खेती।** इसमें फसल की वृद्धि को सक्षम करने वाले पोषक तत्वों को पहाड़ की चोटी से बहाया जाता है।
  - **खोद कर बनाई गई नहरों द्वारा भूमि सिंचाई की सुविधा प्रदान की जाती है।** इन्हें पहाड़ियों से आने वाली धाराओं से जोड़ा जाता है।
  - **मृदा की उर्वरता जैविक कचरे और फसल अवशेषों के पुनर्चक्रण द्वारा बनाए रखी जाती है।** इस विधा को अन्य क्षेत्रों में अपनाया जा सकता है, ताकि बदलती जलवायु के परिदृश्य में खाद्य उत्पादन को सुरक्षित किया जा सके।
- ☆ **वन्यजीव संरक्षण:** जनजातीय समुदाय कुलदेवता और धार्मिक विश्वासों को मानते हैं। इनमें जानवरों के वध और कुछ पौधों को काटने पर प्रतिबंध लगाया जाता है। उदाहरण के लिए– **अरुणाचल प्रदेश में आदि जनजातियों का मानना है कि बाघ, गौरैया और पैंगोलिन मानव जाति के शुभचिंतक हैं, इसलिए उनका शिकार नहीं किया जाता है।**
  - उनका यह भी मानना है कि बरगद के वृक्षों को काटने से अकाल पड़ता है और मृत्यु हो सकती है। इस प्रकार, इससे अंततः प्रजातियों के संरक्षण में मदद मिलती है।

- **जल संरक्षण:** जलवायु परिवर्तन के कारण भूजल संसाधन का अत्यधिक उपयोग हो रहा है। साथ ही, परिवर्तनशील वर्षा तंत्र के कारण देश में जल संकट बढ़ गया है। ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए पारंपरिक ज्ञान का इस्तेमाल किया जा सकता है।

- उदाहरण के लिए– **मध्य प्रदेश की भील जनजाति, जिन्होंने झाबुआ और अलीराजपुर जिलों** में अपनी सदियों पुरानी परंपरा 'हलमा (Halma)' को पुनर्जीवित किया है। इसका उद्देश्य समुदाय आधारित दृष्टिकोण के आधार पर जल से जुड़ी समस्याओं का हल निकालना है।

- **वन संरक्षण:** भारत के नृजातीय समुदायों ने ऐसे **वनों की जैव–विविधता को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिनमें मानवीय हस्तक्षेप नहीं हुआ है।** साथ ही, आदिवासियों ने अपने पवित्र उपवनों में **कई वनस्पतियों और जीवों का संरक्षण** किया है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने वनाग्नि को फैलने से रोकने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
  - बैगा व गोंड समुदाय महुआ के वृक्ष के नीचे आग जलाते हैं और अच्छी मात्रा में इस आग को बनाए रखते हैं, ताकि महुआ वृक्ष को जंगली जानवरों से बचाया जा सके। दुर्भाग्यवश ये आग लपटों में बदल जाती है। ध्यातव्य है कि वैश्विक संदर्भ में वर्ष 2021 में कैलिफोर्निया के जंगलों में कुछ इसी तरह का भयावह दृश्य चर्चा का विषय था।

- **स्वदेशी किस्में:** नृजातीय और देशज समुदाय ने कई पौधों और कृषि फसलों की संकटग्रस्त किस्मों को संरक्षित किया है।
  - उदाहरण के लिए– **चावल की स्वदेशी किस्मों को पूर्वोत्तर क्षेत्र में कुर्चिया, परियार, खासी, जतिन और गारो जनजातियों द्वारा संरक्षित किया जाता है। इन किस्मों में पट्टांबी, चंपारा, वलसाना, आदि शामिल हैं।**

वर्तमान में भारत में जनजातीय समुदायों के लिए शासन व्यवस्था का स्वरुप क्या है?

जनजातियों की अनूठी विशेषताओं और महत्व को समझने के बाद, यह स्पष्ट है कि उनके शासन व्यवस्था हेतु एक विशिष्ट दृष्टिकोण की आवश्यकता रही है।

जनजातियों के समग्र गवर्नेंस के बारे में नेहरू का पंचशील सिद्धांत स्वतंत्रता के बाद देशज समुदायों के लिए नीतियां और प्रावधान तैयार करने के लिए अद्वितीय मार्गदर्शक सिद्धांत था। सरकार ने आदिवासियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के साथ–साथ उनकी विशिष्ट संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित करने के लिए कई उपाय/दृष्टिकोण अपनाएं हैं।

- जनजातियों के एकीकृत विकास के लिए:
  - **राष्ट्रीय जनजातीय नीति** (NTP): इस नीति को अनुसूचित जनजातियों (STs) के लिए राष्ट्रीय नीति के रूप में भी जाना जाता है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य **जनजातीय समुदाय को समाज की मुख्यधारा में लाना है।** ऐसा करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है, ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके। ऐसा करते समय उनकी अनूठी संस्कृति को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं किया जाएगा।
  - **आरक्षण नीति:** खुली प्रतियोगिता के द्वारा अखिल भारतीय आधार नियुक्ति के मामले में अनुसूचित जातियों (SCs) और अनुसूचित जनजातियों (STs) के सदस्यों के लिए क्रमशः 15% और 7.5% का आरक्षण प्रदान किया गया है।
    - SCs/STs के सदस्यों को शिक्षा के अवसर प्रदान करके समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए सरकार ने IITs और IIMs **जैसे प्रमुख संस्थानों** में SCs/STs को (क्रमशः 15 और 7.5%) आरक्षण प्रदान किया है।
  - **नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम,** 1955: इसे **निम्नलिखित मामलों में दंड निर्धारित करने हेतु** अधिनियमित किया गया था:
    - **'अस्पृश्यता' का प्रचार और व्यवहार,**
    - उससे उत्पन्न होने वाली किसी भी अयोग्यता को लागू करना, तथा
    - उससे जुड़ा कोई भी अन्य मामला।

जनजातियों के समग्र उत्थान के लिए पंचशील दृष्टिकोण

वर्ष 1952 में, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आदिवासी न्याय, जनजातियों के समग्र गवर्नेंस और जनजातियों के विकास से जुड़े मुद्दों को हल करने के लिए **'पंचशील' सिद्धांत** की वकालत की थी।

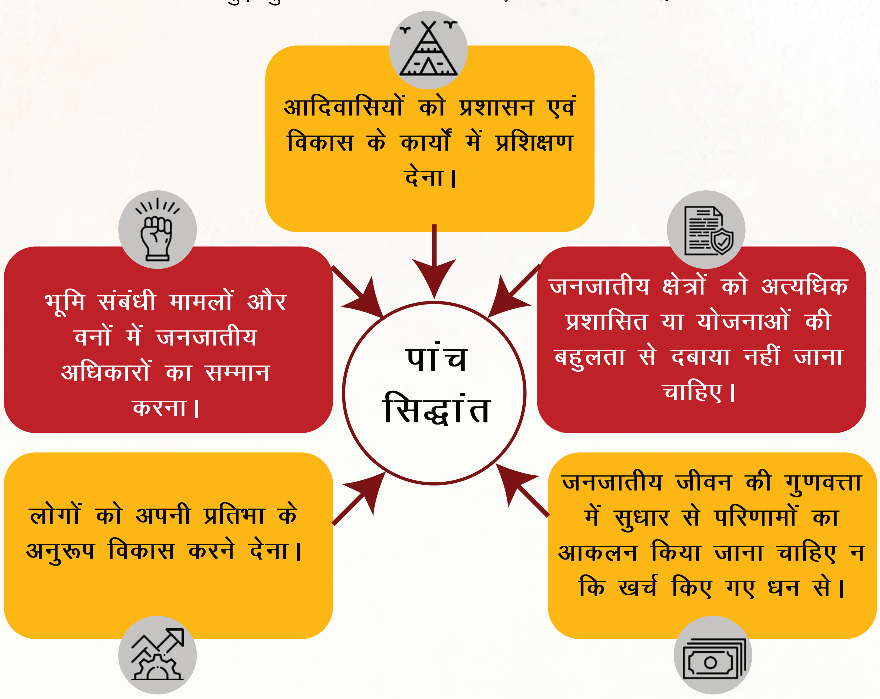

- **अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989:** यह SCs और STs के सदस्यों के विरुद्ध अत्याचार संबंधी अपराधों को होने से रोकता है। साथ ही, यह इन मामलों में **विशेष न्यायालयों का प्रावधान भी करता है।**
  - ये न्यायालय इन अपराधों से जुड़े अन्य या आनुषंगिक मामलों की सुनवाई भी करते हैं। साथ ही, ऐसे अपराधों के पीड़ितों को राहत दिलाने और पुनर्वास को सुनिश्चित करने का कार्य भी करते हैं।

☆ जनजातीय अधिकारों के संरक्षण के लिए

- **पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम (पेसा), 1996:** इसे संविधान के भाग IX के प्रावधानों का पंचायतों से संबंधित अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार करने हेतु अधिनियमित किया गया था। ऐसा **दिलीप सिंह भूरिया समिति** की अनुशंसाओं पर किया गया था।
  - यह जनजातीय समुदायों और **अनुसूचित क्षेत्रों के निवासियों को स्वशासन की उनकी अपनी व्यवस्थाओं के माध्यम से स्व–शासन के अधिकार को मान्यता** देता है। साथ ही, प्राकृतिक संसाधनों पर उनके पारंपरिक अधिकारों को स्वीकार भी करता है।

☆ जनजातीय पहचान की सुरक्षा के लिए

- **पांचवीं अनुसूची: अनुच्छेद 244(1)** के प्रावधानों के अधीन यह ऐसे अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है, जहां जनजातीय समुदाय बहुसंख्यक हैं। इसमें जनजाति सलाहकार परिषद (Tribes Advisory Council) **के गठन की परिकल्पना की गई है और राज्यपाल को व्यापक शक्तियां प्रदान की गई हैं।**
  - उदाहरण के लिए– राज्यपाल राज्य में किसी भी क्षेत्र की शांति और एक अच्छी सरकार के लिए भूमि के हस्तांतरण को प्रतिबंधित कर सकता है या प्रतिबंधित करने के लिए नियम बना सकता है।
- **छठी अनुसूची:** अनुच्छेद 244(2) के प्रावधानों के अधीन यह **असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा पर लागू होता है, जिन्हें जनजातीय क्षेत्र घोषित किया गया है।** इसके तहत ऐसे क्षेत्रों के लिए स्वायत्त जिला परिषदों (Autonomous District Councils: ADCs) का उपबंध किया गया है।
  - ADCs के पास भूमि, जंगल, जल, कृषि, स्वास्थ्य, स्वच्छता, विरासत, विवाह, तलाक, सामाजिक रीति–रिवाजों आदि के संबंध में राज्य के भीतर **विधायी, न्यायिक और प्रशासनिक स्वायत्तता है।** इसका उद्देश्य स्वयं की संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित करना है।
- **अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006:** इसके तहत वन में निवास करने वाली STs और अन्य परंपरागत वन निवासियों के वन अधिकारों तथा वन भूमि पर कृषि को मान्यता दी गई है। साथ ही,ये अधिकार इन्हीं समुदायों में निहित किए गए हैं।

☆ उन्हें पृथक परिवेश प्रदान करने के लिए:

- **विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTGs) के विकास की योजना:** यह केंद्र प्रायोजित एक योजना है। इसका उद्देश्य समुदाय की संस्कृति और विरासत को बनाए रखते हुए व्यापक तरीके से उनके सामाजिक–आर्थिक विकास की योजना बनाना है। इसके लिए आवास विकास के समावेशी दृष्टिकोण को अपनाया जाएगा।
- **इनर लाइन परमिट पॉलिसी (ILP):** कुछ पूर्वोत्तर राज्यों में यात्रा करने वाले या वहां रहने की इच्छा रखने वाले भारत के अन्य हिस्सों के नागरिकों को इन राज्यों में यात्रा करने व बसने के लिए ILP व्यवस्था के तहत अनुमति लेनी पड़ती है। इन राज्यों में **अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम शामिल हैं।**
  - यह व्यवस्था देशज लोगों के हितों की रक्षा के बारे में उत्पन्न चिंताओं को दूर करने के लिए की गई है।

अन्य संवैधानिक प्रावधान

- **अनुच्छेद** 15: धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर **भेदभाव पर रोक।**
- **अनुच्छेद** 16: लोक नियोजन के विषय में (अर्थात् सरकारी नौकरी के मामले में) **अवसर की समता।**
- **अनुच्छेद** 46: अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के **शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों को बढ़ावा।**
- **अनुच्छेद** 243D: पंचायतों में अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण।
- **अनुच्छेद** 244: अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के रूप में चिन्हित क्षेत्रों का प्रशासन।
- **अनुच्छेद** 330 **और** 332: **क्रमशः लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का** आरक्षण।
- **अनुच्छेद** 335: सेवाओं एवं पदों के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के दावे।
- **अनुच्छेद** 338A: संविधान के तहत या किसी अन्य कानून के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच और निगरानी के लिए **राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग** की स्थापना की गई है।

जनजातियों के उत्थान हेतु सरकार की नई योजनाएं:

- **सामाजिक–आर्थिक:**
  - न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के माध्यम से लघु वनोपज (MFP) के विपणन के लिए तंत्र और MFP योजना के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास किया जा रहा है।
  - **प्रधान मंत्री वन धन विकास योजना (PMVDVY):** वन धन विकास केंद्रों (VDVK) की स्थापना करके MFP का मूल्यवर्धन, ब्रांडिंग और व्यावसायीकरण करके आदिवासियों की आय में सुधार करना। यह जनजातीय उद्यमिता को बढ़ावा देगा और उन्हें सुविधा प्रदान करेगा।
  - **GOAL (गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स) कार्यक्रम:** इसका उद्देश्य मेंटर (सलाहकार या मार्गदर्शक) और मेंटी (सलाह या मार्गदर्शन प्राप्तकर्ता) की अवधारणा के माध्यम से पांच वर्षों में **5,000 जनजातीय युवाओं और महिलाओं का डिजिटल सशक्तीकरण करना है।**
  - **एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS):** दूरस्थ क्षेत्रों में **अनुसूचित जनजाति के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना तथा उच्चतर शिक्षा** और रोजगार के अवसरों का लाभ उठाने के लिए उन्हें प्रेरित करना।
  - **1000 स्प्रिंग्स पहल:** यह जनजातीय कार्य मंत्रालय (MoTA) और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) की एक संयुक्त पहल है। इसका उद्देश्य दूरदराज के क्षेत्रों में जलापूर्ति की जरूरतों को पूरा करने के लिए स्थानीय समाधान प्रदान करना है।
  - **पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी लॉन्च की गई है।**
- **प्रशासनिक:**
  - **जनजातीय उप–योजना को विशेष केंद्रीय सहायता (SCA to TSS): यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है।** इसका उद्देश्य मानव संसाधन विकास के माध्यम से STs और अन्य सामाजिक समूहों के बीच के अंतराल को समाप्त करना है।
- **सांस्कृतिक:**
  - **विश्व के देशज लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस: इसे प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को मनाया जाता है।** इसका उद्देश्य देशज लोगों की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनके समुदायों को संरक्षित करना है।
  - **राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव:** इसे लोक नृत्यों की अनूठी शैलियों, चित्रकला में पारंपरिक कौशल की प्रदर्शनी, औषधीय प्रथाओं आदि के माध्यम से जनजातीय लोगों की **समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की झलक दिखाने के लिए मनाया जाता है।**

सामाजिक–आर्थिक संकेतकों में जनजातियों की स्थिति

कई प्रयासों के बावजूद भी जनजातियां इन संकेतकों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी हैं।

संकेतक	STs	राष्ट्रीय औसत
शिशु मृत्यु दर (IMR)	41.6	35.2
5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर	50.3	41.9
संस्थागत प्रसव	82.3%	88.6%
टीकाकरण (12–23) महीने	76.8%	83.8%
जीवन प्रत्याशा	63.9 वर्ष	67 वर्ष
साक्षरता (2011 की जनगणना के अनुसार)	59%	73%
निर्धनता (वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, 2021)	50.6%	27.91%

जनजातीय समुदायों को उनके विकास पथ में किन प्रमुख बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है?

औपनिवेशिक शासन के दौरान और उसके पश्चात स्वतंत्र भारत में भी जनजातीय समुदाय हमेशा से हाशिए पर रहकर जीवन यापन करते आ रहे हैं। इसके अलावा, वे लगातार उपेक्षा और उत्पीड़न का सामना करते आ रहे हैं। इसे उपर्युक्त इन्फोग्राफिक में दर्शाया गया है। हालांकि, इस संदर्भ में सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इसके बावजूद आज भी जनजातीय समुदाय और समाज के अन्य वर्ग के बीच एक व्यापक अंतर मौजूद है। इसके कुछ निम्नलिखित कारण हैं–

- **सामाजिक–सांस्कृतिक मुद्देः**
  - **पहचान का खो जाना या नष्ट हो जानाः** इसके लिए निम्नलिखित कारक उत्तरदायी हैं:
    - जनजातियों की **परंपरागत संस्थाएं और कानून आधुनिक संस्थानों के साथ टकराव की स्थिति में आ गए हैं;**
    - अनुसूचित क्षेत्रों में गैर–आदिवासियों का आगमन हो रहा है;
    - जनजातीय आबादी घटती जा रही है। इससे उनकी पहचान भी नष्ट हो रही है, उदाहरण के लिए– बो (Bo) भाषा का विलुप्त होना, आदि।
  - **शिक्षाः** बच्चे कम उम्र में ही काम में हाथ बटाना शुरू कर देते हैं। **निर्धनता, शैक्षणिक संस्थानों की अपर्याप्तता तथा जनजातीय क्षेत्रों में शैक्षणिक संस्थानों के संबंध में प्रशासनिक नीति के अभाव के कारण** निरक्षरता में वृद्धि होती है और ज्यादातर बच्चे बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं।
  - **स्वास्थ्य और पोषणः अस्वच्छता और आदिम प्रथाएं,** पौष्टिक आहार की कमी, **स्वास्थ्य सेवाओं के लिए खराब बुनियादी ढांचा, शिशुओं एवं बच्चों का अपर्याप्त टीकाकरण और संक्रामक रोगों से रक्षा के लिए टीकों की कमी** जैसी बहुत सी समस्याएं मौजूद हैं। इनके कारण बच्चों में गंभीर संक्रमण, कुपोषण और जल जनित बीमारियां होती हैं।
    - जनजातियों को **बीमारियों के तिगुना बोझ का सामना करना पड़ता हैः संचारी रोग** (मलेरिया, तपेदिक, कुष्ठ रोग आदि), गैर–संचारी रोग (मधुमेह, हृदय रोग, कैंसर आदि) और **मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं** (जैसे– तनाव, मादक द्रव्यों का सेवन इत्यादि)।
    - उदाहरण के लिए, यूनिसेफ के अनुसार, पांच वर्ष से कम आयु के 40% जनजातीय बच्चे ठिगनेपन (Stunted) से ग्रसित हैं।
- **लैंगिक अंतरः** स्वदेशी समुदायों (पितृसत्तात्मक जनजातियों) में महिलाओं को समान अधिकार और अवसर नहीं मिलते हैं। इन अधिकारों और अवसरों में प्रजनन स्वास्थ्य, शिक्षा, राजनीतिक अधिकार एवं सामाजिक सोपान में उच्च स्तर तक पहुंच शामिल हैं। **निर्णय लेने वाले निकायों** (विधान सभा या संसद) में और समुदाय का नेतृत्व करने वाली भूमिकाओं में महिलाओं का **कम प्रतिनिधित्व** रहता है।
  - उदाहरण के लिए– जनजातीय बहुल अरुणाचल प्रदेश की विधान सभा में वर्ष 2022 में केवल चार महिला विधायक हैं, जबकि यहां सदस्य संख्या 60 है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 1987 में **राज्य का दर्जा मिलने के बाद से कभी भी कोई महिला सांसद नहीं रही है।**
- **आर्थिक मुद्देः**
  - **भूमि संबंधी अलगावः** ऐतिहासिक रूप से, ब्रिटिश सरकार की वन नीति का झुकाव व्यावसायिक उद्देश्यों की ओर अधिक था।
    - इसके उपरांत, आदिवासियों की **भूमि पर साहूकारों, जमींदारों और व्यापारियों ने ऋण आदि देकर कब्जा** कर लिया था। **खदानों के प्रारंभ होने के साथ–साथ रेलवे–निर्माण आदि के लिए वन भूमि को रूपांतरित** कर आदिवासियों को उनकी भूमि से विस्थापित कर दिया गया था।
  - **निर्धनता और बेरोजगारीः** जनजातीय समुदाय प्राथमिक गतिविधियों के माध्यम से जीविकोपार्जन करते थे। इन गतिविधियों में शिकार करना, भोजन संग्रह करना और कृषि शामिल है। वे आदिम या पुरानी तकनीक का इस्तेमाल करते थे। इसके चलते **कोई अधिशेष उत्पादन नहीं होता था, जिससे या तो बहुत ही कम लाभ होता था** अथवा कोई लाभ नहीं होता था। इस कारण, उनकी प्रति व्यक्ति आय भारतीय औसत से काफी कम थी।
    - **कौशल की कमी, निरक्षरता और उच्चतर शिक्षा की कमी, कम पारिश्रमिक और कुपोषण जैसी** प्रमुख समस्याएं बनी हुई हैं। इसके कारण रोजगार के कम अवसर मिलते हैं और बेरोजगारी अनुपात उच्च स्तर पर है।
- **पर्यावरण संबंधी मुद्देः**
  - **मानव–पशु संघर्षः** हाल के दिनों में निम्नलिखित कारणों से इस संघर्ष में वृद्धि हुई है:
    - मानव आबादी में वृद्धि,
    - विकासात्मक गतिविधियों के लिए भूमि–उपयोग में परिवर्तन,
    - आवासीय इलाकों का विखंडन, और
    - संरक्षण रणनीतियों के कारण वन्यजीव आबादी में वृद्धि।
  - **प्राकृतिक संसाधनः** भारत में औद्योगीकरण की शुरुआत के कारण जनजातीय आबादी वाले क्षेत्रों में खनिज और अन्य संसाधनों की खोज होने लगी। इन क्षेत्रों में मौजूद संसाधनों के दोहन का अधिकार गैर–जनजातीय लोगों को भी दे दिया गया। साथ ही, संवृद्धि को बढ़ावा देने के लिए जनजातीय नियंत्रण व्यवस्था के स्थान पर राज्य नियंत्रण व्यवस्था को स्थापित कर दिया गया।

भारत के देशज लोगों पर कोविड–19 का प्रभाव

महामारी और लॉकडाउन ने देशज लोगों की आजीविका, स्वास्थ्य और गतिशीलता को बुरी तरह से प्रभावित किया था। उन्हें भूमि और पहचान के अपने अधिकारों के लिए खतरों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान जबरन बेदखली की कई घटनाएं सामने आई थीं। इससे संबंधित कुछ मुद्दे इस प्रकार हैं:

- **जबरन बेदखली:** वर्ष 2020 में, कालाहांडी वन विभाग ने पूर्व सूचना दिए बिना ही ओडिशा के सगड़ा गांव में 32 आदिवासी परिवारों (कोंड जनजाति) के घरों को जबरन ध्वस्त कर दिया था।
- **नजरबंदी:** लॉकडाउन के दौरान कई आदिवासियों को **अवैध रूप से नजरबंद कर दिया गया था।**
    - उदाहरण के लिए– गुजरात के केवड़िया गांव में 20 आदिवासियों को तब नजरबंद किया गया जब वे लॉकडाउन के दौरान "स्टैच्यू ऑफ यूनिटी" परियोजना के लिए अपने गांवों के चारों ओर बाड़ के निर्माण का विरोध कर रहे थे।
- **हिंसा: मध्य प्रदेश के सिवाल गांव में वन अधिकारियों ने खड़ी फसलों को नष्ट करके 'अतिक्रमित' भूमि को खाली करने का प्रयास किया था।** इसके परिणामस्वरूप ग्रामीणों के विरुद्ध हिंसा हुई थी।
    - मध्य प्रदेश में, भिलाई खेड़ा के आदिवासियों को बेदखल करने के प्रयासों के परिणामस्वरूप उनके विरुद्ध पुलिस ने बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की थी।
- **विस्थापन:** कोविड महामारी के दौरान भारत सरकार द्वारा वन क्षेत्रों में कम–से–कम 30 परियोजनाओं को पर्यावरण मंजूरी प्रदान की गई थी।
    - उदाहरण के लिए– छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा राज्यों में कोयला खनन के लिए दिए गए वाणिज्यिक लाइसेंस के कारण 20,000 से अधिक परिवारों को विस्थापन के खतरे का सामना करना पड़ेगा।

- **नीतिगत मुद्दे:**
    - **वन अधिकार अधिनियम** (FRA), 2006: जनजातीय लोगों, राजस्व और वन विभाग के बीच समन्वय का अभाव है, जिससे FRA का बेहतर कार्यान्वयन नहीं हो पा रहा है।
        - साथ ही, **सामुदायिक वन संसाधन** (CFR) **अधिकारों** को मान्यता नहीं दी गई है।
        - वन विभाग ने CFR अधिकारों को मान्यता देने का भारी विरोध किया है। साथ ही, वन विभाग वन संसाधनों के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए ग्राम सभा के साथ शक्ति साझा करने का भी कड़ा विरोध कर रहा है।
    - **पेसा,** 1996: यह देखा गया है कि पांचवीं अनुसूची के क्षेत्रों में रहने वाले स्थानीय जनजातीय समुदाय को पेसा के तहत विस्तारित किए गए कानून और अधिकारों की बहुत सीमित समझ है।
        - हालांकि, पेसा को लागू किए हुए 25 **वर्षों से अधिक का समय हो गया है, लेकिन आज भी राज्य स्तर पर पेसा को पूरी तरह से कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है।**
        - उदाहरण के लिए– 26% जनजातीय आबादी होने के बावजूद, झारखंड पेसा के कार्यान्वयन के लिए नियम बनाने में विफल रहा है।
- **सुरक्षा संबंधी समस्याएं:**
    - **नक्सलवाद का प्रभाव:** जनजातीय युवा, भूमि संघर्ष के विषय पर माओवादियों की विचारधारा से उतना प्रभावित नहीं है, जितना कि अन्य कारणों से। विचारधारा की बजाय, इस गैर–कानूनी आंदोलन में उनके शामिल होने के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं:
        - शिक्षा एवं उचित कौशल का अभाव,
        - निर्धनता,
        - बेरोजगारी,
        - व्यक्तिगत/पैतृक दुश्मनी, और
        - वर्दी एवं हथियारों के प्रति आकर्षण।
            - **नक्सलवादियों और सुरक्षा बलों के बीच संघर्ष** तथा सुरक्षा बलों द्वारा किए जाने वाले नियमों के कथित उल्लंघनों के कारण अशांति पैदा हुई है। इसके परिणामस्वरूप, जनजातियों को छत्तीसगढ़ से पड़ोसी राज्यों में विस्थापित किया गया है।

भारत में जनजातियों के संधारणीय विकास को सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं?

जनजातियों के विकास की सच्ची भावना उन्हें उनके अधिकारों का एहसास कराने और यह सुनिश्चित करने में निहित है कि संस्थागत माध्यमों से उनके अधिकारों की रक्षा की जाती है। इसका अर्थ है कि जनजाति संबंधी पंचशील सिद्धांत को बनाए रखना। विकासात्मक रणनीति तैयार करने और भारत में जनजातियों की स्थिति में सुधार के लिए कई हस्तक्षेपों की आवश्यकता है। इनमें से कुछ निम्नानुसार हैं:

सामाजिक–आर्थिक उपाय:

- **जनजाति केंद्रित शिक्षा व्यवस्था:** इस व्यवस्था में निम्नलिखित उपायों को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है:
  - **रोजगारोन्मुख शिक्षा प्रदान करना,**
  - स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनौपचारिक एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना करना, और
  - जनजातीय बच्चों की प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए खेल प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना करना।
    - जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों (Tribal Sub Plan areas) में **शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जानी चाहिए।** साथ ही, सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश, जनजातीय लोकाचार, भाषा आदि को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम तैयार किए जाने चाहिए।
- **जागरूकता:** जनजातीय समुदाय के मध्य बड़े पैमाने पर जागरूकता को पैदा करने वाली गतिविधियां शुरू किए जाने की आवश्यकता है, ताकि उन्हें उनकी विकास क्षमता का एहसास कराया जा सके। अवसंरचना और सड़क संपर्क निर्मित करने हेतु **क्षेत्र आधारित दृष्टिकोण को अपनाया जाना चाहिए।**
- **स्वास्थ्य: प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की कवरेज और पहुंच** में सुधार किया जाना चाहिए। साथ ही, पारंपरिक या जनजातीय उपचारकर्ताओं को अस्वीकार करने की बजाय उन्हें स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में शामिल करने पर विचार किया जाना चाहिए।
  - पारंपरिक हर्बल औषधियों को सामुदायिक स्वामित्व के माध्यम से संरक्षित किया जाना चाहिए। साथ ही, जनजातीय समुदाय के स्वयं के हर्बल दवाओं और प्रथाओं पर बौद्धिक संपदा अधिकारों को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- **पहचान सुनिश्चित करना:** जनजातियों में PVTGs समुदाय पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। **इस संदर्भ में भूमि व वन पर उनके प्रथागत अधिकारों और आजीविका के स्रोतों का सम्मान करना चाहिए तथा उनका संरक्षण किया जाना चाहिए।**
- **वित्त–पोषण: स्वायत्त परिषदों को राज्य वित्त आयोग (SFC) के तहत कवर किया जाना चाहिए।** साथ ही, SFC को **राज्य और स्वायत्त परिषद के बीच संसाधन वितरण के उपयुक्त सिद्धांतों को निर्धारित** करना चाहिए। साथ ही, यह भी ध्यान में रखना होगा कि वित्त पोषण राज्य के विवेकाधीन न हो।
- **रोजगार:** जनजातीय क्षेत्रों में कृषि आधारित प्रशिक्षण संस्थान और संबंधित श्रम प्रधान प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता है। इसमें स्वयं सहायता समूह (SHGs), सहकारी संस्थाएं और ग्राम सभाओं को शामिल किया जाना चाहिए।

प्रशासनिक उपाय

- **जनजाति संबंधी पंचशील का विस्तार:** आजादी के बाद के इन लगभग 75 वर्षों में कई नीतियों और संवैधानिक सुरक्षा उपायों को लागू किया गया है। इन नीतियों और उपायों को विभिन्न विधियों और न्यायिक फैसलों के माध्यम से सुरक्षित किया गया है। ये सभी जनजाति संबंधी पंचशील सिद्धांत के अनुरूप एक व्यावहारिक कार्य योजना का समर्थन करते हैं।
- **अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) का इंडीजेनस एंड ट्राइबल पीपल्स कन्वेंशन, 1989:** इसके अनुसार देशज और आदिवासी समुदाय को बिना किसी व्यवधान या भेदभाव के मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता का पूरा लाभ मिलना चाहिए। यदि भारत इस अभिसमय का अनुसमर्थन करता है, तो जनजातियों की सामाजिक और सांस्कृतिक स्वायत्तता का सम्मान करते हुए, उन्हें मुख्य धारा में शामिल करने के सरकार के प्रयास को मजबूती मिलेगी।
- **प्रतिनिधित्व:** स्वायत्त विकास परिषद (ADCs) और अन्य राजनीतिक संस्थाओं में **जनजातीय महिलाओं के साथ–साथ लघु जनजातीय समूहों के लिए भी आरक्षण (एक–तिहाई)** का प्रावधान होना चाहिए।
  - जनजातीय भूमि हस्तांतरण के मामलों को सामूहिक रूप से निपटाने हेतु ग्राम सभाओं को पूर्ण अधिकार दिए जा सकते हैं। ऐसा इसलिए, क्योंकि जनजातियां अपनी सामाजिक–आर्थिक स्थितियों को देखते हुए कानूनी लड़ाई का वहन नहीं कर सकती हैं।

निष्कर्ष

वैश्वीकरण और डिजिटल विभाजन के युग में यह आवश्यक है कि भारत की जनजातीय आबादी और गैर–जनजातीय आबादी के बीच प्रतिनिधित्व अंतराल को समाप्त किया जाए। इससे जनजातीय समुदाय के विचार, उनकी पहचान, संस्कृति, सामूहिक मानवाधिकार और प्रासंगिक मुद्दों की उचित वैधता सुनिश्चित हो सकेगी। भारत एक वैश्विक महाशक्ति बनने की आकांक्षा रखता है, इसलिए इसे समावेशी जनजातीय विकास के विमर्श को शामिल करने हेतु विकास की अपनी परिभाषा पर पुनर्विचार करने और उसे पुनर्परिभाषित करने की आवश्यकता है। यह संधारणीय विकास लक्ष्यों के एजेंडे के अनुरूप भी होगा।

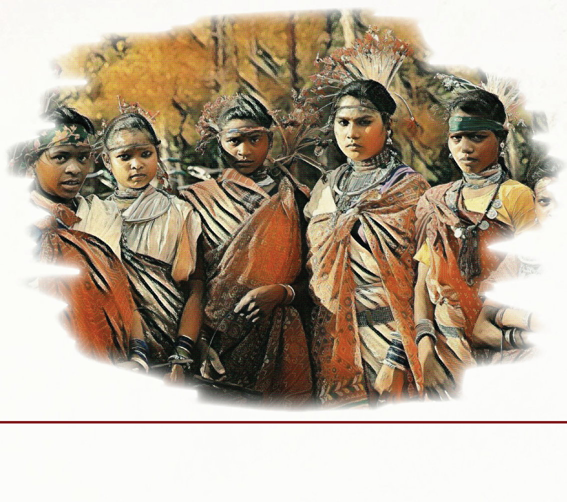

टॉपिक – एक नज़र में

'ट्राइब (जनजाति)' शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द "ट्राइबस (Tribus)" से हुई है, जिसका अर्थ है "एक–तिहाई"। जनजाति को 'मूलनिवासी' या 'आदिवासी' भी कहा जाता है। जनजाति एक सामाजिक समूह है, जो **समान पूर्वजों, विश्वासों, संस्कृति, रीति–रिवाजों और परंपराओं को साझा करते हैं।** अफ्रीका के बाद भारत में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जनजातीय आबादी रहती है। 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में लगभग 700 जनजातीय समूह रहते हैं, जिनकी आबादी 10.4 करोड़ है।

भारतीय जनजातियों की विशेषताएं

- विशिष्ट मनोवैज्ञानिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण
- धर्म के रूप और तत्व के बीच अंतर का अभाव
- औपचारिक संस्थाओं का अभाव
- सांस्कृतिक समरूपता
- पहाड़ी या वन क्षेत्र में जीवन व्यतीत करना
- सामुदायिक आधार पर भू–जोत

भारत की अनूठी विरासत के प्रतिनिधित्व और संरक्षण में जनजातीय समुदायों की भूमिका

- **सांस्कृतिक विविधताः ओडिशा में करमा, झारखंड में सरहुल आदि** आदिवासी पर्वों का धार्मिक महत्व भारत की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करता है।
- **पारंपरिक चिकित्साः गरासिया जनजातियों को राजस्थान के सिरोही जिले में औषधीय लोक वनस्पतियों के बारे में व्यापक ज्ञान है।** इन वनस्पतियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) की रेड लिस्ट में संकटग्रस्त पादप प्रजातियों की सूची में शामिल किया गया है।
- **जल संरक्षणः मध्य प्रदेश की भील जनजाति ने अपनी सदियों पुरानी परंपरा 'हलमा (Halma)'** को पुनर्जीवित किया है। इसका उद्देश्य समुदाय आधारित दृष्टिकोण के आधार पर जल से जुड़ी समस्याओं का हल निकालना है।
- **देशी किस्मेंः** उदाहरण के लिए, **चावल की किस्मों जैसे पट्टांबी व चंपारा को पूर्वोत्तर क्षेत्र में खासी और गारो जनजातियों द्वारा संरक्षित** किया जाता है।

भारत में जनजातीय समुदायों का वर्गीकरण

- भौगोलिक, नस्लीय और भाषाई।
- **संवैधानिकः** वे लोग, जिन्हें संविधान में सूचीबद्ध किया गया है और उनका उल्लेख राष्ट्रपति के अनुक्रमिक आदेशों में किया गया है, वे अनुसूचित जनजाति कहलाती हैं।
- **प्रशासनिकः**
  - **विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTGs)**
  - **विमुक्त जनजातियां (छारा, देवीपूजक आदि)**
  - **घुमंतू और अर्ध–घुमंतू समुदाय**

भारत में जनजातीय समुदायों के लिए शासन व्यवस्था का स्वरुप

- **आरक्षण नीतिः** खुली प्रतियोगिता के द्वारा अखिल भारतीय आधार नियुक्ति के मामले में अनुसूचित जातियों (SCs) और अनुसूचित जनजातियों (STs) के सदस्यों के लिए क्रमशः 15% और 7.5% का आरक्षण प्रदान किया गया है।
- नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989
- **पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम (पेसा),** 1996: यह अधिनियम जनजातीय समुदायों व अनुसूचित क्षेत्रों के निवासियों के अधिकारों को मान्यता देता है।
- पांचवीं अनुसूची {अनुच्छेद 244(1)} और छठी अनुसूची {244(2)} में विशेष उपबंध किए गए हैं।
- PVTGs **योजना का विकासः** अधिवास विकास के समावेशी दृष्टिकोण को अपनाकर इन समुदायों की संस्कृति और विरासत को बनाए रखते हुए उनके सामाजिक–आर्थिक विकास की योजना बनाना।

जनजातीय समुदायों के समक्ष उनके विकास पथ में आने वाली बाधाएं

- **पहचान का खो जानाः** उदाहरण के लिए– "बो" भाषा विलुप्त हो गई है।
- **शिक्षाः** बच्चों द्वारा कम उम्र में ही काम में हाथ बटाना, **निर्धनता, शैक्षणिक संस्थानों के संबंध में प्रशासनिक नीति की कमी आदि।**
- **स्वास्थ्य और पोषणः** पौष्टिक आहार की कमी, **स्वास्थ्य सेवाओं के लिए खराब बुनियादी ढांचा,** अपर्याप्त टीकाकरण इत्यादि।
- **भूमि से अलगावः** आदिवासियों की भूमि पर साहूकारों और जमींदारों ने ऋण देकर कब्जा कर लिया था।
- FRA, 2006: इसके कार्यान्वयन के मामले में **जनजातियों, राजस्व और वन विभाग के बीच समन्वय का अभाव** है।
- **नक्सलवाद का प्रभावः** निर्धनता, बेरोजगारी, व्यक्तिगत/पैतृक दुश्मनी, वर्दी और हथियारों के प्रति आकर्षण के कारण जनजातीय युवा गैर–कानूनी आंदोलन में शामिल होते हैं।
- **लैंगिक अंतरालः जनजातीय महिलाओं को समान अधिकार नहीं मिलते हैं। साथ ही, निर्णय लेने वाली संस्थाओं में प्रतिनिधित्व के अवसर भी कम प्राप्त होते हैं।**

भारत में जनजातियों के संधारणीय विकास के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं:

- **आदिवासी केंद्रित शिक्षा प्रणालीः** रोजगारोन्मुखी शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है। साथ ही, आदिवासी बच्चों की प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए खेल प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की जानी चाहिए।
- **जागरूकताः** अवसंरचना और सड़क संपर्क निर्मित करने हेतु क्षेत्र आधारित दृष्टिकोण को अपनाया जाना चाहिए।
- **स्वास्थ्यः** पारंपरिक हर्बल औषधियों को सामुदायिक स्वामित्व के माध्यम से संरक्षित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, जनजातीय समुदाय के स्वयं के हर्बल दवाओं और प्रथाओं पर बौद्धिक संपदा अधिकारों को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- **पहचान सुनिश्चित करनाः** PVTGs पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।
- **वित्त–पोषणः** स्वायत्त परिषदों को SFC के तहत शामिल किया जाना चाहिए।
- **रोजगारः** जनजातीय क्षेत्रों में कृषि आधारित प्रशिक्षण संस्थान और संबंधित श्रम प्रधान प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता है।
- **प्रतिनिधित्वः** ADCs और अन्य राजनीतिक संस्थानों में जनजातीय महिलाओं के साथ–साथ छोटे जनजातीय समूहों के लिए भी आरक्षण (एक–तिहाई) का प्रावधान होना चाहिए।
- ILO **का इंडीजेनस एंड ट्राइबल पीपल्स कन्वेंशन,** 1989: यदि भारत इस कन्वेंशन का अनुसमर्थन करता है, तो जनजातियों की सामाजिक और सांस्कृतिक स्वायत्तता का सम्मान करते हुए, उन्हें मुख्य धारा में शामिल करने के सरकार के प्रयास को मजबूती मिलेगी।
- **जनजाति संबंधी पंचशील सिद्धांत का विस्तारः** जनजाति संबंधी पंचशील के अनुरूप व्यावहारिक कार्य योजना बनाने की आवश्यकता है।